यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -IV, राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -IV, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री आनंद कुमार पाण्डेय ले.प., श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.12.2020 से 28.12.2020 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आशीष पाण्डेय, (व.ले.प.) श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ), श्री गोविंद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.03.2020 से 13.03.2020 तक श्री राजकुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - ज्वालापुर हरिद्वार में राजस्व की वसूली**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	1029.09
2018-19	1210.22
2019-20	3158.14

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - IV, राज्य कर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - IV, राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः ------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

भाग-II (ब)

प्रस्तर -1: कर का न्यूनारोपण ₹ 3.62 *लाख* ।

प्रस्तर-2: अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 1.50 लाख।

प्रस्तर - 3: समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 1.50 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर -1: कर का न्यूनारोपण ₹ 3.62 *लाख* ।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -4, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री राजस्थान पी0ओ0पी0 ट्रेडर्स,** टिन: 05006170874, की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में जिप्सम पाउडर चैनल प्लेट (पी0ओ0पी0) की ` **38,11,867/-** की बिक्री पर 5% की दर से ` **1,90,593**/- की कर देयता निर्धारित की गई थी जबकि जिप्सम पाउडर चैनल प्लेट (पी0ओ0पी0) के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण**,** इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5%/14.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः ` **38**,11,867**/-** की जिप्सम पाउडर चैनल प्लेट (पी0ओ0पी0) की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (14.5 - 5) से ` **3,62,127/-** का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>जांचोपरांत आख्या प्रेषित की जाएगी।</u>

अतः, कर के न्यूनारोपण के कारण ` 3,62,127/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो ब</u>

प्रस्तर-2: अर्थदण्ड के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 1.50 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तो पांच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो; का अर्थदण्ड आरोपित होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-4 राज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जांच मे पाया गया कि सर्वश्री साई यू वी कोटिंग्स इँडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार(टिन 05014089760कर निर्धारण वर्ष 2016-17) कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार पावडर कोटिंग के निर्माण एवं बिक्री का था। संगत वर्ष मे कुल खरीद ₹ 6989383.50 की हुई जिसके विरुद्ध ₹ 6262866.65 की बिक्री घोषित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगत वर्ष मे कुल ₹ 54809.00 की आई टी सी अनुमन्य किया गया। पत्रावली की जांच मे पाया गया कि ₹ 50026.00 की आई टी सी 13.5% की दर से केमिकल-सोलवेंट की खरीद हेतु दी गयी। यद्यपि सोलवेंट पर 5% की दर से कर देयता निर्धारित है। अतः अर्थदण्ड के रूप मे ₹ 150078.00 आरोपणीय है।

विभाग ने उत्तर दिया कि जांचोपरांत कार्यवाही कि जाएगी।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 3: समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 1.50 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के, अनुसार इस विकल्प को अपनाने वाले व्यापारी, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जैसी की विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के बदले में ऐसे विक्रय के सम्पूर्ण आवर्त पर, 1 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 11 के उप नियम (2) के अनुसार प्रत्येक ब्यौहारी, जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का भुगतान करना चाहता है, कर निर्धारक प्राधिकारी को एक प्रार्थना पर प्रारूप 22 में एक निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के 45 दिन के भीतर दाखिल करेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 4, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि

(1) **व्यापारी सर्वश्री न्यू राजेश जनरल स्टोर, नियर रेलवे रोड, ज्वालापुर, हरिद्वार,** टिन: 05001877848, द्वारा संगत वर्ष 2016-17 हेतु अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से कर देयता का विकल्प, कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के 45 दिन के भीतर अर्थात दिनांक 15.05.2016 तक जमा न करके, कार्यालय दिनांक 05.07.2016 को दाखिल किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र समयांतर्गत न होने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः, उक्त व्यापारी अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी होगा। संगत वर्ष में 2016-17 में उक्त व्यापारी द्वारा कुल ` **5,86,600/-** की प्रांतीय बिक्री घोषित की गई थी एवं उक्त बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिशत की दर से ` 5,860**/-** का कर आरोपित किया गया था जबकि उक्त व्यापारी के समाधान योजना के विकल्प हेतु दाखिल प्रार्थना पत्र के समयांतर्गत न होने के कारण 4 प्रतिशत [1](5 - 1) की अंतरीय दर से ` न्यूनतम **23**,464**/-** का कर आरोपणीय है।

[1] यदि व्यापारी द्वारा की गई समस्त बिक्री ऐसी वस्तुओं की हो जो अधिनियम की अनुसूची 2 **(**ख) से आच्छादित है।

(2) व्यापारी सर्वश्री दीपक रवि ट्रेडिंग कंपनी श्री नगा ज्वालापुर, हरिद्वार, टिन: 05001902583, द्वारा संगत वर्ष 2016-17 हेतु अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से कर देयता का विकल्प, कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के 45 दिन के भीतर अर्थात दिनांक 15.05.2016 तक जमा न करके, कार्यालय रसीद संख्या 16892 द्वारा दिनांक 22.05.2016 को दाखिल किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र समयांतर्गत न होने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः, उक्त व्यापारी अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी होगा। संगत वर्ष 2016-17 में उक्त व्यापारी द्वारा कुल ` **31,60,946/-** की प्रांतीय बिक्री घोषित की गई थी एवं उक्त बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिशत की दर से ` **31,610/-** का कर आरोपित किया गया था जबकि उक्त व्यापारी के समाधान योजना के विकल्प हेतु दाखिल प्रार्थना पत्र के समयांतर्गत न होने के कारण 4 प्रतिशत [2](5 - 1) की अंतरीय दर से न्यूनतम ` **1**,26,438**/-** का कर आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>जांचोपरांत आख्या प्रेषित की जाएगी।</u>

अतः, समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण ` **1,49,902/-** (**23**,464 + **1**,26,438**)** लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[2] यदि व्यापारी द्वारा की गई समस्त बिक्री ऐसी वस्तुओं की हो जो अधिनियम की अनुसूची 2 **(**ख) से आच्छादित है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
41/2011-12	-	1,2	-
39/2015-16	-	1,2,3,4,5	-
125/2017-18	-	1	-
159/2019-20	-	1,2,3,4,5	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड - IV, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती कल्पना त्रिपाठी,	सहायक आयुक्त
(ii)	श्री रजनीकान्त शाही,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV